



वकील
01.7.2025

2025/535

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
बारसखां बनाम मुन्शीखां आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 225 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15.05.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">017</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
01.7.2025	<p>वकील वादी ने प्रार्थना पत्र मिलात पेकी पेश करने पर प्रवादी के पेकी में लिखा गया वकील वादी ने मित्रका डिमा कि वही नपकी वही के राजीनामा के पत्र पत्र होने के कारण वह पत्र अपने नहीं चलाना चाहते हैं। मैं जूरी हाल में जारी करवाना चाहते हैं। कल वाड पत्र मी पूरा हाल में जारी किया जा रहा है। मगावकी नम्बर से काम की जाकर वाड वकील लकमील जाहल दाखिल इफ्तल हो।</p> <p style="text-align: right;">017</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>बारसखा</p> <p>8 by me</p> <p>02 khadke</p>

